भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3667
10.08.2026 को उत्तर के लिए

त्रिपुरा में अगरवुड कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना

3667. श्रीमती कृति देवी देबबर्मन:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार त्रिपुरा राज्य में ग्रामीण आजीविका, निर्यात और पारिस्थितकीय लाभों के सृजन के लिए अगरवुड की खेती और व्यापार की महत्वपूर्ण क्षमता से अवगत है;
(ख) क्या सरकार को त्रिपुरा राज्य सरकार या अन्य हितधारकों से अगरवुड की खेती तथा इसके मूल्यवर्धित उत्पादों के पारगमन, प्रमाणन और निर्यात से संबंधित प्रक्रियाओं के सरलीकरण या युक्तिसंगत बनाने की मांग करने वाले कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(घ) क्या सरकार का 'वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय' (सीआईटीईएस) के अंतर्गत राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कारोबार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा नियामक ढांचे की समीक्षा करने का विचार है; और
(ड.) त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में अगरवुड की सतत खेती, मूल्यसंवर्धन, वैज्ञानिक टीकाकरण, प्रमाणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) मंत्रालय ने ग्रामीण आजीविका, निर्यात और पारिस्थितिकीय लाभों की संभावनाओं पर ध्यान देने के उद्देश्य से त्रिपुरा सहित अगरवुड उत्पादक राज्यो द्वारा उत्पादित अगरवुड के विधिक और संधारणीय निर्यात को सुगम बनाने के उपाय किए हैं । कृषि वानिकी प्रणालियों के माध्यम से अगरवुड को बढ़ावा देना केंद्रीय बजट 2026-27 की घोषणाओं का एक हिस्सा है। संधारणीय निर्यात के लिए उपलब्ध उत्पादित अगरवुड के भंडार का आकलन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 में किए गए हानिरहित निष्कर्ष (एनडीएफ) अध्ययन के माध्यम से किया गया है। एनडीएफ अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर, विदेश

व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने दिनांक 20.01.2025 की अधिसूचना संख्या 52/2024-25 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 के लिए बागान में उगाए गए अगरवुड का वार्षिक निर्यात कोटा अधिसूचित किया है, जिसमें त्रिपुरा के लिए प्रतिवर्ष 22,500 किलोग्राम अगरवुड चिप्स/पाउडर/बुरादा तथा 1,047 किलोग्राम अगरवुड तेल की निर्यात सीमा निर्धारित की गई है।

त्रिपुरा सरकार और अन्य हितधारकों द्वारा उत्पादित अगरवुड और इसके मूल्यवर्धित उत्पादों के परिवहन, प्रमाणन और निर्यात से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय द्वारा इन मामलों की जांच पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), अगरवुड उत्पादक राज्यों, निर्यातकों, उद्योग संघों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से की गई है।

निर्यात के लिए पारदर्शिता, दक्षता और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाने के उद्देश्य से, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परामर्श से ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म पर अगरवुड के लिए उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु एक समर्पित मॉड्यूल विकसित किया है। यह उत्पत्ति प्रमाणपत्रों और एकीकृत व्यापार सुविधा सेवाओं के लिए एकल-खिड़की डिजिटल प्रणाली है। यह मॉड्यूल निर्यातकों को सहायक दस्तावेजों और उत्पत्ति के स्रोत, भंडार विवरण, अभिरक्षा श्रृंखला तथा निरीक्षण रिकॉर्डों से संबंधित विवरणों के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, बेहतर अनुरेखण क्षमता विकसित होती है, वास्तविक संपर्क में कमी आती है और आवेदनों का समयबद्ध निपटान संभव होता है।

इसके अलावा, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान (आरएफआरआई), जोरहाट द्वारा वैज्ञानिक टीकाकरण हेतु तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य अगरवुड उत्पादकों के हितों की रक्षा करना और अनियमित सेवा प्रदाताओं द्वारा किए जाने वाले शोषण को रोकना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पीएम-डिवाइन योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के माध्यम से संधारणीय कृषि और मूल्य संवर्धन को सहायता प्रदान करता है, जिसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (निरमैक) द्वारा कार्यान्वित अगरवुड क्लस्टर विकास परियोजना भी शामिल है।
